न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 113/2021

नवीन कुमार पुत्र स्व जयसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम लुमास, तहसील व जिला झुंझुनूं मो0न0 8696828958

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 22.07.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.07.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 113/2021 पर दिनांक 01.07.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1830—31 दिनांक 01.07.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/1496 दिनांक 09.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी नवीन कुमार पुत्र स्व0 जयसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम लुमास, तहसील व जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 04.05.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/161 दिनांक 07.05.2021 के द्वारा राजस्व अनुभाग को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। राजस्व अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 1529—31 दिनांक 07.05.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार को पत्र लिखते हुए अवगत करवाया कि 1955 की समस्त पत्रावलियां अभिलेखागार मे जमा है जिसकी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार ने अपने पत्र कमांक 56 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि आपके द्वारा चाही गई सूचना 20 वर्ष से अधिक पुरानी है एवं चाही गई सूचना अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थि[illegible]नही।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं [illegible] कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/20/1496 [illegible] निवेदन किया कि अपीलार्थी नवीन कुमार पुत्र स्व0 जय[illegible] ग्राम लुमास, तहसील व जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 04.05.2021 को प्राप्त हुआ। अप[illegible]द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क[illegible] एफ 16(4)(5)न्[illegible]सू0अ0/09/161 दिनांक 07.05.2021 के द्वारा राजस्व अनुभाग को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। राजस्व अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 1529—31 दिनांक 07.05.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार को पत्र लिखते हुए अवगत करवाया कि 1955 की समस्त पत्रावलियां अभिलेखागार मे जमा है जिसकी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(14)

अभिलेखागार ने अपने पत्र कमांक 56 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि आपके द्वारा चाही गई सूचना 20 वर्ष से अधिक पुरानी है एवं चाही गई सूचना अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना जिस हालत मे है उसी हालत मे 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाना सुनिशिचित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested